BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 08 नवम्बर 2023

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त अभिषेक को आजीवन कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता रीना को आजीवन कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त अभिषेक पुत्र रमेशपाल सिंह निवासी शिवनगर कालोनी थाना सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर व अभियुक्ता श्रीमती रीना पत्नी टीकम सिंह निवासी श्योराजपुर थाना सुरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्ष- 2019 में थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के ग्राम मुरादाबाद निवासी कृष्णपाल सिंह की गले में फंदा लगाकर हत्या करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 12.12.2019 को थाना सिकन्द्राबाद पर मुअसं- 1017/2019 धारा- 302,404,411,34 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 03.02.2020 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 08.11.2023 को मा0 न्यायालय एडीजे-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त अभिषेक को आजीवन कारावास व 14,000/- रूपये के अर्थदण्ड तथा अभियुक्ता श्रीमती रीना को आजीवन कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री देवेन्द्र माहुर का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर